न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 33/2021, जिला दौसा

1. रामगोपाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी ग्राम पातलवास तहसील राहूवास जिला दौसा। (राज.)

—अपीलान्ट्

बनाम

1. फैलीराम पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी पातलवास तहसील राहूवास जिला दौसा।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास जिला दौसा।
3. भरतलाल पुत्र पिता स्व0 गंगाधर
4. विश्राम पुत्र पिता स्व0 गंगाधर
5. हरफूल पुत्र मांग्या
6. हजारी पुत्र ग्यारसा
7. मूल्या पुत्र ग्यारसा
8. सुखलाल पुत्र ग्यारसा
9. गंगाधर पुत्र ग्यारसा
10. रामफूल पुत्र कन्हैया
11. पप्पूलाल पुत्र रामसहाय
12. कालूराम पुत्र रामसहाय
13. रामप्यारी पत्नी रामसहाय
14. रामपाल पुत्र सोन्या
15. बदरी पुत्र सोन्या
16. कैलाश पुत्र रामसहाय
17. मोतिया पत्नी रामसहाय
18. सीताराम पुत्र जगन्नाथ
19. रमेश पुत्र जगन्नाथ
20. बरजी पत्नी जगन्नाथ
21. हरसहाय पुत्र श्रवण
22. जगदीश पुत्र श्रवण
23. रामभजन पुत्र श्रवण
24. सुन्दरी पत्नी श्रवण
25. रमेश पुत्र भोमा
26. मोती पुत्र भोमा
27. मीठालाल पुत्र भोमा
28. भरतलाल पुत्र भोमा
29. रामफूल पुत्र भोमा
30. प्रहलाद पुत्र भोमा
31. जगदीश पुत्र भोमा
32. रामगोपाल पुत्र भोमा
33. छोटी पत्नी भोमा
34. गोपी पुत्र सुखदेवा
35. कल्याण पुत्र सुखदेवा
36. मूल्या पुत्र झूंथा
37. छीतर पुत्र रामचन्दा
38. बाबूलाल पुत्र पन्नालाल
39. शंकरलाल पुत्र पन्नालाल
40. ओमप्रकाश पुत्र पन्नालाल
41. काली पुत्री कन्हैया
42. प्रभाती पुत्री कन्हैया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

43. मोटा पुत्री कन्हैया
समस्त जाति मीना निवासी पातलवास तहसील राहूवास जिला दौसा। (राज0)
44. मूली पत्नी श्रवण जाति मीना निवासी ढोलावास तहसील राहूवास जिला दौसा।
45. रमेश पुत्र श्रीनारायण जाति मीना निवासी गुढाचक नोन्दा की ढाणी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.04.2021 अधीनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश रामगढ पचवारा जिला दौसा उनवानी प्रकरण फैलीराम बना राज0 सरकार मु.नं. 103/2017 अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. मे जो पारित किया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री पं. रामबाबू शर्मा
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री उमेश गौड
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 45 श्री हनुमान प्रसाद चौधरी

निर्णय

दिनांक –26.07.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 12.04.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 21.06.2021 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 फैलीराम द्वारा अपील खातेदारी की जमीन ख.नं. 54 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 72 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम ग्राम पातलवास के संबंध में दिनांक 10.10.2017 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष प्रस्तुत किया किया। जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 45 को पडौसी खातेदार होने के कारण विपक्षी के रूप में दर्ज किया। प्रकरण निरन्तर जनरल पेशी में चलता रहा। दिनांक 18.02.2021 को इस प्रकरण में शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर तलब किया गया व विपक्षीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से तामिल के पत्रावली निर्धारित कर दी। दिनांक 09.04.2021 को वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा लगायत 6 तथा 41 लगायत 49 का नाम हजफ करने का प्रार्थना पत्र पेश किया और उसी दिन दिनांक 09.04.2021 को सबके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 12.04.2021 को एक नोन स्पीकिंग ऑर्डर पारित कर दिया। उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.04.2021 में पारित किया कि तहसीलदार राहूवास को निर्देश दिये कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 54 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 72 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम पातलवास तह0 राहूवास की नियमानुसार जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 12.04.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामगोपाल पुत्र जगन्नाथ द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा दिनांक 12.04.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 फैलीराम द्वारा अपील खातेदारी की जमीन ख.नं. 54 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 72 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम ग्राम पातलवास के संबंध में दिनांक 10.10.2017 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष प्रस्तुत किया किया। जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 45 को पडौसी खातेदार होने के कारण विपक्षी के रूप में दर्ज किया। प्रकरण निरन्तर जनरल पेशी में

Scanned by CamScanner

चलता रहा। दिनांक 18.02.2021 को इस प्रकरण में शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर तलब किया गया व विपक्षीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से तामिल के पत्रावली निर्धारित कर दी। दिनांक 09.04.2021 को वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा लगायत 6 तथा 41 लगायत 49 का नाम हजफ करने का प्रार्थना पत्र पेश किया और उसी दिन दिनांक 09.04.2021 को सबके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 12.04.2021 को एक नोन स्पीकिंग ऑर्डर पारित कर दिया। उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.04.2021 में पारित किया कि तहसीलदार राहूवास को निर्देश दिये कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 54 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 72 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम पातलवास तह0 राहूवास की नियमानुसार जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अपीलांट फैलीराम द्वारा पडोसी खातेदारान को पार्टी तो बना लिया परन्तु उन्हें अपनी जवाबदेही व साक्ष्य पेशी करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया मनमाने ढंग से पार्टी बनाते हुए उनका नाम भी हजफ करवा लिया तथा इस प्रकरण चलते हुए अप्रार्थी संख्या 48 मांगीलाल का इन्तकाल भी हो गया था परन्तु फैलीराम द्वारा मृतक विपक्षीयान के वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिए न तो कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश किया और ना ही उनका नाम हजफ करवाया। प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.04.21 मृत व्यक्तियों के खिलाफ पारित हुआ है। कानून की मंशा है कि मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित आदेश अपने आप में गलत है न वह आदेश प्रभावी होता है। जब तक उनके वारिसान को मुकदमें में प्रतिस्थापित न कर दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्थरगढी करने के आदेश देने में कानूनी त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला सीकर दिनांक 12.04.2021 निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टान्त भी पेश किये गये :—

(1) डी.एन.वाय 2013(3) (DNY) पेज 987
(2) आर.आर.टी. 2019(1) पेज 217

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि के खातेदार है और अपने खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के विधिक अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी नियमानुसार जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करवायी जाने के आदेश प्रदान किये हैं। वादी की खातेदारी की आराजी ख.नं. 54 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 72 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम पातलवास तह0 रामगढ पचवारा में स्थित है। जिस पर वादी बहैसियत खातेदार काविज होकर काश्त कर लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। वादी अपनी खातेदारी की विवादित भूमि पर वाकै ग्राम पातलवास पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। वादी को यह काननून हक अधिकार हासिल है कि वह अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाए। दिनांक 28.08.2017 को वादी ने तहसीलदार से अपनी आराजी की पत्थरगढी के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने मना कर वाद प्रस्तुत करने के लिए कहा। जिससे वादहेतुक पैदा होकर वाद करवाए जाने पत्थरगढी पेश करना आवश्यक हुआ। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट उनुवानी फैलीराम बनाम राज0 सरकार प्रार्थना पत्र 128 प्रार्थना पत्र संख्या 103/2017 पेश किया। प्रार्थी/रेस्पों. 1 के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को नोटिस जारी होने के पश्चात सभी पक्षों को सूचना व सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दिनांक 12.04.2021 को पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये गये। उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

Scanned by CamScanner

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी ख.नं. 54 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 72 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम पातलवास तह0 राहूवास की नियमानुसार जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी कराने के आदेश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट उनुवानी फैलीराम बनाम राज0 सरकार प्रार्थना पत्र 128 प्रार्थना पत्र संख्या 103/2017 पेश किया। प्रार्थी/रेस्पों. 1 के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को नोटिस जारी होने के पश्चात सभी पक्षों को सूचना व सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दिनांक 12.04.2021 को पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 12.04.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner